दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22/01/2019 का कार्यवृत्त

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	प्रतिकुलपति	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 हरिशरण	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	प्रो0 एन0पी0 भोक्ता	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
7	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
8	प्रो0 विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	कोआप्टेड सदस्य
9	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	कोआप्टेड सदस्य
10	श्री सुरेश चन्द शर्मा	कुलसचिव	विशेष आमंत्रित
11	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यसूची–

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

1. आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 30/09/2018 एवं 03/10/2018 द्वारा सूचित किया गया है कि मैं बी0एस–सी0 भाग दो शांति देवी मेमोरियल महाविद्यालय, डीवाढ़ार पिपरा रोहनियां, देवरिया वर्ष–2018 के परीक्षा में सम्मिलित हुआ और बी0एस–सी0 द्वितीय वर्ष के भौतिक विषय के प्रथम प्रश्नपत्र में कुल पांच प्रश्नों के उत्तर लिखना था, जिसमें प्रश्न संख्या–1 अनिवार्य था, और खण्ड–अ से दो एवं खण्ड–ब से दो प्रश्नों का उत्तर देना था, प्रार्थी द्वारा प्रश्न संख्या–1 का 'अ' और 'स' हल किया गया, और उसके बाद खण्ड–ब का प्रश्न संख्या–6 और 9 हल किया गया उसके बाद प्रार्थी द्वारा खण्ड 'अ' से प्रश्न संख्या–5 तथा 2 को हल किया गया। खण्ड–अ का प्रारम्भ संख्या–2 से शुरू होकर 5 तक है प्रार्थी द्वारा खण्ड 'अ' से प्रश्न संख्या–5 को हल करने के बाद प्रश्न संख्या–2 को हल किया लेकिन भूलवश प्रश्न संख्या–1 अंकित कर दिया गया जबकि खण्ड 'अ' में प्रश्न संख्या–1 है ही नही। छात्र द्वारा यह मांग किया गया है कि प्रश्न संख्या–1 को प्रश्न संख्या–2 मान लिया जाय तो प्रार्थी बी0एस–सी0 द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण हो जायेगा। आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 17/12/2018 के साथ संलग्न माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या–37189/2018 में याची के प्रत्यावेदन दिनांक 30/09/2018 दिनांक 03/10/2018 को नियमानुसार एक माह में निस्तारित करने हेतु हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। जिसमें यह वर्णित है कि–"It is clarified that Court has not gone into the correctness of the assertions made in the writ petition nor has the claim of the petitioner been judged on merits. It is for the competent authority to decide the claim of the petitioner in accordance with law after independent application of mind."

उक्त के क्रम में आलोक कुमार पाण्डेय के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा दिनांक 05/01/2019 को प्रो0 हरिशरण विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग एवं प्रो0 सुग्रीवनाथ तिवारी की एक समिति गठित की गई जो आलोक कुमार पाण्डेय के प्रकरण में अपनी आख्या प्रस्तुत की है, जो निम्नवत है–

"संदर्भित उत्तरपुस्तिका में परीक्षार्थी ने खण्ड–अ का प्रश्न सं0–2 के स्थान पर प्रश्न सं0–1 अंकित किया है। सम्भवतः इसी कारण परीक्षक ने पूर्व में उसे प्रश्न सं0–1 का उत्तर मानकर शून्य अंक दिया था। माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका एवं परीक्षार्थी के मानवीय भूल (प्रश्न सं0–2 के स्थान पर प्रश्न सं0–1 लिखना) के दृष्टिगत प्रश्न सं0–2 का मूल्यांकन कर उसका परिवर्तित प्राप्तांक 13 (तेरह) उत्तरपुस्तिका के मुख्य कवर पर अंकित कर दिया गया है।"

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक 30/11/2018 के क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार पर छात्र का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है, तदक्रम में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से आलोक कुमार पाण्डेय के प्रकरण में समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कार्योत्तर कार्यवाही से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया तथा यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में इसे नजीर न माना जाय।

श्री सुबोध कुमार सक्सेना प्रभारी, निरीक्षक, थाना–धौलाना (हापुड़) के पत्र दिनांक 24/12/2018 के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–हापुड़, थाना–धौलाना पर सहायक अध्यापिका श्रीमती कीर्ति जायसवाल द्वारा बी0एड0 की फर्जी मार्कसीट लगाकर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पा लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 746/18 U/S 420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0 बनाम श्रीमती कीर्ति जायसवाल पुत्री श्री रामपति गुप्त R/o 110, रामनगर कालोनी गोरखपुर पंजीकृत कराया गया है। श्रीमती कीर्ति जायसवाल के द्वारा बी0एड0 वर्ष वर्ष–2004 में बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से अनुक्रमांक–90628 से सिद्धान्त में 531/700 अंक प्रयोगात्मक में 270/300 अंक प्राप्त कर दोनों में प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी मार्कशीट की छायाप्रति श्रीमती कीर्ति जायसवाल द्वारा स्वप्रमाणित संलग्न है तथा बी0एड0 की जारी डिग्री दिनांक 23 अक्टूबर 2004 क्रम संख्या 05735 की छायाप्रति स्वप्रमाणित प्रति संलग्न है। जिसके सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

श्रीमती कीर्ति जायसवाल बी0एड0 वर्ष–2004, अनुक्रमांक–90628, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर, से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका का पेज विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में कॉफी ढूठवाने के बावजूद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उक्त अनुक्रमांक का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में कार्यालय का मत है कि उक्त पेज अनुक्रमांक–90626 से अनुक्रमांक–90630 तक ई0डी0पी0 सेल के माध्यम से प्रमाणित कराकर, प्राप्त करा लेना उचित होगा ताकि सत्यापन शीघ्र भेजा जा सके।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति निर्णय लिया कि श्रीमती कीर्ति जायसवाल बी0एड0 वर्ष–2004, अनुक्रमांक–90628, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर, से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका का पेज अनुक्रमांक–90626 से अनुक्रमांक–90630 तक ई0डी0पी0 सेल से प्रमाणित कराकर, अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में चस्पा कर सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

3. कु0 शिल्पा सिंह बी0ए0 भाग तीन अनुक्रमांक–1520110010212, पर विषय– हिन्दी, समाज शास्त्र, से केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर वर्ष–2015 में व्यक्तिगत (प्राईवेट) छात्रा के रूप में सम्मिलित हुई हैं, छात्रा के अंकतालिका पर परीक्षाफल अंकित नहीं है, एवं परीक्षाफल के कॉलम में 693/1800 अंक अंकित है, छात्रा को हिन्दी विषय के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र में क्रमशः 33, 23, 41 कुल 97 अंक प्राप्त हुए हैं एवं वह बैकपेपर हेतु अर्ह थी लेकिन त्रुटिवश अंकतालिका पर बैकपेपर अंकित नहीं है, एवं अंकतालिका विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित कर उसे प्रदान किया गया है, तदक्रम में छात्रा अपने को उत्तीर्ण मानकर चल रही थी लेकिन बाद में वर्ष–2018 में उसे पता चला कि वह उत्तीर्ण नहीं है। इस क्रम में छात्रा द्वारा बैक पेपर परीक्षा देने की मांग की जा रही है, कु0 शिल्पा सिंह को बैकपेपर की परीक्षा देने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति निर्णय लिया कि कु0 शिल्पा सिंह बी0ए0 भाग तीन अनुक्रमांक–1520110010212, केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की हिन्दी विषय में बैकपेपर की परीक्षा आगामी मुख्य परीक्षा के साथ बैक पेपर के रूप में परीक्षा सम्पन्न करा ली जाय तथा मूल रूप में सत्र 2015 का अंकपत्र निर्गत किया जाय। इस प्रकरण की जांच हेतु एक समिति गठित की जाय।

4. **शिकायतकर्ता, किशुन प्रसाद सिंह ग्राम–खजुरी पोस्ट–गवई, जनपद–गोण्डा के शिकायती प्रतिवेदन दिनांक 18/12/2018 तथा पूर्व छात्र राजू पुत्र श्री शिवपूजन ग्राम–खजुरी, पोस्ट–गवई, जनपद–गोण्डा के प्रतिवेदन दिनांक 02/01/2019 पर विचार।**

(किशनु प्रसाद सिंह द्वारा कुलसचिव/कुलपति को सम्बोधित अपने प्रतिवेदन के माध्यम से यह अवगत कराते हुए कि राजू पुत्र शिवपूजन ने एक ही सत्र 2007–08, 2008–09, 2009–10 में डॉ0 राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्ध आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय बभनान गोण्डा से तथा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध मौलाना आजाद महाविद्यालय बायताल कदीराबाद, सिद्धार्थनगर से बी0ए0 भाग एक, दो एवं तीन संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण किया है तथा शिकायतकर्ता द्वारा राजू के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

तदक्रम में राजू पुत्र शिवपूजन द्वारा परीक्षा नियंत्रक/माननीय कुलपति जी जो सम्बोधित प्रतिवेदन दिनांक 02/01/2019 के माध्यम से यह अवगत करया गया है कि प्रार्थी अज्ञानतावश एक ही सत्र 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध मौलाना आजाद महाविद्यालय बायताल कादिराबाद, सिद्धार्थनगर से बी0ए0 भाग एक, दो एवं तीन संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, जिसका उपयोग हम कर रहे हैं तथा उसी सत्र में अज्ञानतावश डॉ0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद से सम्बद्ध, आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, गोण्डा से भी बी0ए0 भाग एक, दो एवं तीन संस्थागत के रूप में उत्तीर्ण कर लिया हूँ। मुझे नियमों का ज्ञान नहीं था।

प्रार्थी डॉ0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद से सम्बद्ध, आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, गोण्डा से बी0ए0 भाग एक, दो एवं तीन की उत्तीर्ण अंकतालिका/परीक्षाफल निरस्तीकरण के लिए प्रार्थना

पत्र दिनांक 19/07/2018 को कुलपति महोदय के कार्यालय में प्राप्त करा दिया हूँ जो प्रक्रियाधीन है। (प्रतिलिपि संलग्न है) राजू पुत्र शिवपूजन द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध मौलाना आजाद महाविद्यालय बायताल कादिराबाद, सिद्धार्थनगर से बी0ए0 भाग एक वर्ष–2007–08, अनुक्रमांक–1040010390, बी0ए0 भाग दो वर्ष–2008–09, अनुक्रमांक–2060400267 एवं बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2009–10, अनुक्रमांक–3116030238 की उत्तीर्ण की गयी अंकतालिका/परीक्षाफल/प्रमाणपत्र को संरक्षित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार राजीव पुत्र शिवपूजन के डॉ0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद से सम्बद्ध, आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, गोण्डा से बी0ए0 का अंकपत्र/उपाधि निरस्त करने के सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी हेतु इस कार्यालय से दिनांक 11/01/2019 को पंजीकृत डाक द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से इस प्रकरण को प्रवेश समिति को संदर्भित किया।

5. विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा वर्ष–2019 के परीक्षा कार्यक्रम से अवगत होते हुए अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा वर्ष–2019 के परीक्षा कार्यक्रम से अवगत होते हुए इसे अनुमोदित किया।

6. विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा वर्ष–2019 हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा वर्ष–2019 हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु गठित समिति की दिनांक 11/12/2018 की संस्तुतियों व दिनांक 17/01/2019 की संस्तुतियों (3. घ के अतिरिक्त) विचारोपरान्त स्वीकार किया।

अन्त में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति